भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *208

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा शिक्षा संबंधी सीटों की संख्या में वृद्धि

†*208. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश भर में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संबंधी सीटों की संख्या में वृद्धि करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है कि देश के आकांक्षी और अल्पसेवित क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान को, नई सीटों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चिकित्सा संकाय के सदस्यों की भर्ती के लिए और अधिक समावेशी और योग्यता-आधारित दृष्टिकोण अपनाने हेतु नए विनियम लागू किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सुधारों से किस प्रकार चिकित्सा शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किए जाने और योग्य संकाय सदस्यों की कमी को पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 13 फरवरी, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 208* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): सरकार ने राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों/स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों/सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 5,000 स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाई जाएंगी। साथ ही, मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाने के लिए सीएसएस का विस्तार किया गया है, जिसके तहत 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जाएंगी और प्रति सीट 1.50 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई लागत सीमा निर्धारित की गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक लागू रहेगी। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश नवंबर 2025 में जारी किए गए हैं, जिसमें राजस्थान सहित अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से उचित अंतर विश्लेषण के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव भेजते समय, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अल्पसेवित/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थानों और कुछ विशेषज्ञताओं को प्राथमिकता दें।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), जिसे सर्वोच्च नियामक संस्था के रूप में, चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ने विभिन्न विनियमों को अधिसूचित किया है, जिनमें न्यूनतम मानक आवश्यकता (एमएसआर), स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम (जीएमई), 2023, चिकित्सा शिक्षा मानकों के अनुरक्षण विनियम, 2023 (एमएसएमईआर-2023), योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) पाठ्यक्रम दिशानिर्देश 2024 और आयुर्विज्ञान संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियम, 2025 शामिल हैं। नए आयुर्विज्ञान संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियम 2025 में किए गए संशोधनों का उद्देश्य अधिक समावेशी, योग्यता-आधारित भर्ती प्रणाली को अपनाकर योग्य संकाय सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। इसके अलावा, और अधिक अस्पतालों को शिक्षण संस्थानों के रूप में मान्यता देना और पाठ्यक्रम शुरू करने और विस्तार करने के मानदंडों में ढील देना, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे देश भर में चिकित्सा शिक्षा तक उपयुक्त पहुंच सुनिश्चित होती है। ये सभी सुधार चिकित्सा शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देते हैं और देश भर में समग्र स्वास्थ्य सेवा कार्यबल को मजबूत करते हैं।

******